न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्री ओमप्रकाश वर्मा (आरएएस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 285 / 2025
निर्णय दिनांक : 22.01.2026
जीसीएमएस संख्या– 2025 / 479

सन्तोष कुमार बनाम राजस्थान सरकार

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी **सन्तोष कुमार पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डोराई** द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली प्रस्तुत हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम पाण्डोराई की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या **40, 147** में प्रार्थी का नाम **संतोर मेघवाल** दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार **सन्तोष कुमार** अंकित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र के साथ शिविर प्रभारी/ तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट का अंकन है। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम **संतोर मेघवाल** दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम **सन्तोष कुमार** है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात, आधार कार्ड की प्रति एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में जिला चूरू तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2076–2079 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में निम्नानुसार रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं. स.	**ग्राम**	**खाता संख्या**	**वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)**	**आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)**
01	पाण्डोराई	**40, 147**	संतोर मेघवाल पुत्र धन्ना	सन्तोष कुमार पुत्र धनाराम

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को लिखाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

केस नं० : ग्रामीणसेवाशिविर / **2025** / **285**

दिनांक 22.01.2026

1. तहसीलदार सुजानगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)